



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/ATY-904/MP/132/2023-RO-BH

श्री अनूप कुमार सिंह,
जिला कलेक्टर
जिला - खंडवा
सिविल लाइंस
खंडवा - 450001
मध्य प्रदेश
ई-मेल: dmkhandwa@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक **12/04/2023 को 11:30 AM** बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान माकेट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलों का संदर्भ :- श्रीमती उषा दांगोरे, ग्राम- माकरला, तहसील - पंधाना, जिला खण्डवा (म.प्र.) से प्राप्त अभ्यावेदन - आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की फिर से तथ्यपरक जांच करने तथा आवेदिका को सुरक्षा प्रदान करने बाबत।

संदर्भ 1. पुलिस अधीक्षक कार्यालय का पत्र क्रमांक/पु.अधी./खण्डवा/शिलि/आयोग/-21-418-6- ए/23, दिनांक. 16/02/2023.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **31/03/2023** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer

National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003